The 807th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 03rd July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentationof agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 , MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 wrt plantaion, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to schedued agenda.

1. <u>Case No P2/697/2024 Shri BALVEER TOMAR, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for DHAURARA SAND MINE, area 5.20 ha, Maximum Production-70000 cum per annum Khasra No-332 in Village -Dhaurara, Tehsil-Gaurihar, District - Chhatarpur(MP), [519855] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri Balveer Tomar एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri M.D. Mahmood Ghouse, Env. Consl. M/s. Ample Environ Pvt. Ltd. Hyderabad (Telangana) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान की पूर्व में 70,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति सिया द्वारा दिनांक 22/02/2024 को जारी की गई जो कि वर्तमान में दिनांक 06/03/2028 तक वैध है एवं म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में घोषित रेत खदानों का अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण के परीक्षण करने पर भौतिक रूप से प्रस्तुत दस्तावेज से पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 06/03/2028 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 70,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 70,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथापि प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त वैध पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है अतएव समिति का निर्देश है कि पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर भी अपलोड करें।

2. Case No P2/1502/2025 M/S OSHO ASSOCIATE, PARTNER- SHRI DINESH GUPTA, R/O - 30 SATYADEV NAGAR, GANDHI ROAD, DISTRICT - GWALIOR (M.P.) Prior Environment Clearance for TODI KARERA & AASPUR STONE (GITTI) & M-SAND QUARRY, Area: 4.00 Ha, Production-: Total -85,000 (Stone- 45,000, M- Sand- 40,000) M3/ Year Maximum, Khasra No – 299, Village- Todi Karera & Aaspur, Tehsil- Pichhore District- Shivpuri, (Madhya Pradesh)[536067] (B2)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरर्णीय सलाहकार Smt. Swati Namdeo, M/s. **AGS** Environmental Services Pvt. Ltd. , Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	**SHRI DINESH GUPTA, PARTNER, M/s Osho Associates, R/O - Satyadev Nagar, Gandhi Road, District – Gwalior (M.P.) – 474011.** Prior Environment Clearance for TODI KARERA & AASPUR STONE (GITTI) & M-SAND QUARRY Lease area – 4.00 Ha.(Govt. Land), at Khasra No – 299, Village - Todi Karera, Khasra No: 680/7, Village – Aaspur, Village- Todi Karera & Aaspur, Tehsil- Pichhore District- Shivpuri (M.P), Annual Production 85,000 m3/year (Stone - 45,000 & M- Sand - 40,000) M3/Year. **B2 Fresh Case. SIA/MP/MIN/536067/2025.**	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– Khasra No – 299, Village - Todi Karera, Khasra No: 680/7, Village – Aaspur,	एरिया – 4.00 ha., शासकीय भूमि,
परियोजना स्थल	Village – Aaspur Village- Todi Karera & Aaspur, Tehsil- Pichhore District- Shivpuri (M.P),	
Description of Project	This is a Stone & M-Sand quarry. It comes under the B2 Category. We are using an open-cast semi-mechanised mining method of production, and its minable reserve production is 6,38,006 cubic Meters, and annual production is 85,000 m3/year (Stone - 45,000 & M- Sand - 40,000) M3/Year.	
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **शिवपुरी** के पत्र क्र0. 537 दिनांक 07/04/2025.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
जल/वायु सम्मति	PCB ID: 169496, Consent No:CTE-129880, Consent to Establish valid upto 30/04/2030.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and ब्लास्टिंग प्रस्तावित है	

क्रेशर/एमसेण्ड प्लांटकी स्थिति	क्रेशर/एमसेण्ड प्लांट लीज क्षेत्र के अन्दर है
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA.
उत्पादन क्षमता	➢ Stone - 45,000 M^3/year. ➢ M-Sand- 40,000 M^3/year.
Crushers	Within the lease
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 595 दिनांक 22/04/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 595 दिनांक 22/04/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 595 दिनांक 22/04/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी जानकारी नही है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – आसपुर, जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 24/01/2025 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 04 पेड़ हैं
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा में 75 एवं 110 पर कुछ रहवासी मकान हैं पूर्व दिशा– प्राकृतिक 363 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 595 दिनांक 22/04/2025 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोट में आवश्यक रूप से सम्मिलित की जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में 04 पेड़ हैं इनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। उत्तर पूर्व दिशा में 75 एवं 110 पर कुछ रहवासी मकान हैं इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार ने यह बताया कि 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है जो लगभग 1.3 हे. का क्षेत्र है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड

शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone - 45,000 M^3/year & M-Sand- 40,000 M^3/year.

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.17 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.77 लाख प्रति वर्ष।

3 सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि टोडी करैरा – आसपुर ग्राम में	**राशि (रू0. में)**
ग्राम टोडी करैरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोलार पैनल के लिये और बच्चौ के लिये वैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिये दी जायेगी।	1,50,000
ग्राम आसपुर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में सोलार पैनल के लिये दी जायेगी ।	1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1,150 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है

3. Case No P2/1503/2025 Shri Arul Murugan, General Manager, M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited, 9TH FLOOR, ICONIC BUILDING, URMI ESTATE, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI, (MAHARASTRA.), – 400013, Prior Environment Clearance for Proposed construction of warehouse project "Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited" is Proposing a Warehouse Project at Plot No. - A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Village – Salempur, Tehsil – Depalpur, Distt. - Indore (M.P.). Total Plot area – 80,936.45 sq.m.(8.0936 Ha.), Total Built up Area – 46,350.85 sq mt. Cat. - 8(a). Building and Cons. Projects.[535444] (B2)

The case is presented by the Environmental Consultant Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.) along with PP 's Authorizes Representative Shri Gokul.

PP submitted following details on Parivesh Portal:

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/535444/2025.
2.	Project Name/Activity	**Shri Arul Murugan, General Manager, M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited, 9TH FLOOR, ICONIC BUILDING, URMI ESTATE, LOWER PAREL (WEST), MUMBAI, (MAHARASTRA.), – 400013,** *Prior Environment Clearance for Proposed construction of warehouse project "Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited" is Proposing a Warehouse Project at Plot No. - A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Village – Salempur, Tehsil – Depalpur, Distt. - Indore (M.P.).* ***Total Plot area – 80,936.45 sq.m****.(8.0936 Ha.),* ***Total Built up Area – 46,350.85 sq mt. Cat. - 8(a). Building and Cons. Projects.*** SIA/MP/INFRA2/535444/2025**.**
3.	Project Proposal For	New.
4.	Total built-up area	Warehouse project - 46,350.85 sq mt.
5.	Lease deed Land Allotment	**RO,MPIDC, Indore dated 03/04/2025 (03/04/2025 to 02/01/2124).**
6.	Land Allotment letter Copy	**MPIDC/RO/Indore/2024 dated 22/10/2024.**
7.	Project Cost.	105.13Cr. (approx.).

8.	Description of Project	M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited is proposing a warehouse project at Plot No. A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Indore (M.P.).
9.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted by PP (Copy upload on Parivesh Portal)..
10.	Declaration regarding No Construction status	• PP Affidavit submit dated 29/01/2025 No Construction start at project site.
11.	Lat./Log. (As per Form-1)	Latitude - 22°40'38.72"N Longitude - 75°37'50.75"E.
12.	Total parking area	8260.33 m^2
13.	Number of vehicle to be parked	Open Parking-189 ECS. Total Parking– 189 ECS.
14.	Water requirement details	Total water requirement -98 KLD Fresh water supply – 58 KLD.
15.	Water Supply NOC details	PP submit rwquest letter copy vide Letter No. Nil dated 25/04/2025.
16.	CTE details	PP Apply (Information uploaded on Parivesh Portal).
17.	DG set capacity (As per Form-1)	DG set will be provided as a backup power source 2x 320 KVA.
18.	Environmental Consultant Change	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 19. 02 2028.

PP submitted following information about the project:

- M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited is a firm and mainly involved in promoting the real estate developers, promoters, infrastructure developers & financers. The management of the company has decided to develop a commercial warehouse project in Indore. The company has already acquired the plot measuring 80936.45 m2 at Plot No. A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Indore (M.P.) to develop and construct a warehouse project at the proposed site. The site boasts an ideal location, with Indore strategically situated along National Highway 47 (NH-47).

- M/s Kamakhya Industrial & Logistics Parks Private Limited is proposing a warehouse project at Plot No. A-2, Smart Industrial Township Pithampur Sector-7, Indore (M.P.).
- The total area of the proposed commercial warehouse is estimated to be 80936.45m2.
- A total of 1338.04 m3/hr water will be harvested through 7 nos. of RWH pits.
- The proposed Sewage Treatment Plant (STP), located within the project premises, will utilize MBR technology to treat wastewater with a capacity of 50 KLD. Approximately 40 KLD of treated water will be reused for non-potable purposes, including flushing, and horticulture. The remaining treated water will be safely discharged into the Indore Municipal Drainage system.
- The water demand will be fulfilled through MPIDC (Madhya Pradesh Industrial Development Corporation) water supply. Total water requirement for the project will be approximately 98 KLD, out of which 58 KLD is fresh water requirement and 40 KLD is recycled/treated water.
- The sewage treatment plant will be designed for a capacity of 45 m3/day. Sewage treatment plant scheme will be based on MBR process.
- The project will receive power supply from Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidhyut Vitran Company Ltd (MPPKVVCL). The estimated connected load for the project is approximately 550 KVA.
- To ensure uninterrupted power supply, four Diesel Generator (DG) sets will be installed, with a total capacity of 640 KVA (2 x 320 KVA).
- Proposed green area @ 16.64% , 13187.55 m2 in the CONCEPTUAL PLAN.
- The project is zero discharge based.

During poresentation PP's Env. Consultant have informed that CTE is issued by MPPCB However, the same is not uploaded on the parivesh portal which required to be uploaded on the parivesh portal.

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:-

1. The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the parivesh portal.
2. Revised CER with physical target including specific location, name of Govt. school/name of village etc. as discussed in the meeting.
3. The EMP has to cover mitigation measures for construction activities to be undertaken and operation to minimize the adverse environmental impacts as a result of project activities along with environmental monitoring plan.

4. <u>Case No 10917/2023 Shri Alok Singh, Partner, M/s Mahamaya Stone, LLP, R/o Circle Piprahi Mauja Nakwar Pancha Hanumana, District-Rewa (MP)-486335, Prior Environment Clearance for Beeradei Stone Quarry in an area of 2.424 ha. (38190 cum per year) (Khasra No. 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2), Village-Biradei, Tehsil Hanumana, District-Rewa (MP) [520718] (EIA).</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, ऑनलाईन, एवं श्री प्रदीप लोधी, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **परिवेश पोर्टल पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गयी जानकारी इसप्रकार है :**

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Alok Singh, Partner, M/s MAHAMAYA STONE, R/o-Circle Piprahi Mauja Nakwar Pancha Hanumana Rewa, District- Rewa (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.424 hectare.
स्थल	ग्राम BIRADEI तसहील Hanumana जिला Rewa (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 790 दिनांक 08/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
टॉर	**सेक की 717वीं बैठक दिनांक 28/02/24 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 3271 दिनांक 15/03/24 के द्वारा पत्थर- 38,190 घनमीटर/ वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।**	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	CTE – 129953 dated 08/05/2025	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–38,190 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना	

	अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–38,190 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2480 दिनांक 01/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.551 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2480 दिनांक 01/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2480 दिनांक 01/08/23 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर आबादी एवं नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीरादेही जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17/09/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड़ हैं
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 01/08/23 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड़ एवं कुछ झाड़ियॉ हैं इनमें से 04 पेड़ बबूल प्रजाति के काटा जाना प्रस्तावित है शेष 04 पेड़ संरक्षित किये जावेगें। लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 66 मी. की दूरी पर एवं उत्तर–पश्चिम दिशा लीज के समीप में कुछ कच्चे घर हैं इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार ने यह बताया कि ये खदान मजदूरों के रेस्ट शेल्टर हैं जो कि परियोजना प्रस्तावक के स्वयं के हैं तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मी. की दूरी पर आबादी है एवं दक्षिण दिशा में 280 मी. की दूरी पर एक कच्ची रोड़ है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. ईआईए रिपोर्ट (28/01/2025) में पृष्ठ–5–24, टॉर बिन्दुओं 9,10,12,13,14,15 एवं 18 में नोटेड/कम्पलाईड/नोटेड एण्ड एग्रीड अंकित है को स्पष्ट करते हुये चेप्टर एवं पैरा का संदर्भ दिया जाये। ईआईए रिपोर्ट चेप्टर–2 पैरा 2.5.8 में गारलेण्ड ड्रेन का साईज अंकित किया जाय। पृष्ठ–13 में माईनिंग 12 मीटर तथा आगामी 6 मीटर अर्थात कुल 18 मीटर गहराई का उल्लेख है, पृष्ठ–12 पर यह 20 मीटर उल्लेखित है, स्थिति स्पष्ट करें।

2. ईआईए के चेप्टर–3 में पृष्ठ–2 पैरा–3.3 पर बेस लाईन डाटा मॉनिटरिंग अवधि माह अक्टूबर–दिसम्बर 2023 में दर्शाई गई है परन्तु संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ पृष्ठ–6,7 एवं 13 पर दिनांक 25/01/2024 अंकित है कृपया स्पष्ट करें। पृष्ठ–16 अण्डर ग्राउण्ड तथा सरफेस वाटर सेम्पल में ग्राम एवं स्थानों का नाम, स्त्रोत का विवरण अंकित किया जाये। ईआईए के पृष्ठ–18, 25 के फोटोग्राफ में जल तथा मृदा सैम्पल की तिथि दिनांक 25/01/2024 अंकित है, बेस लाईन डाटा मॉनिटरिंग अवधि माह अक्टूबर–दिसम्बर 2023 में दर्शाई गई है।

3. ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर–3 पृष्ठ–32, पैरा 3.11.4.1 फ्लोरा 500 मीटर में सेंड माईन का उल्लेख है? पृष्ठ–43–44 में अंकित विवरण (हेल्थ इम्पेक्ट) का ईएमपी में उल्लेख नहीं है। पृष्ठ–57 पर निष्कर्ष भी पुनः देखें।

4. ईआईए चेप्टर–11 के पृष्ठ क्रमांक 4 पर वाटर क्वालिटी डी तथा चेप्टर–3 पृष्ठ–23 में सी अंकित है? स्पष्ट किया जाये। ईआईए रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 43 एवं 44 पर इम्पेक्ट ऑन हेल्थ का विवरण है तदानुसार ईएमपी में सुधार अपेक्षित है। लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 66 मी. की दूरी पर एवं उत्तर–पश्चिम दिशा लीज के समीप में कुछ कच्चे घर हैं इस संबंध में ईआईए में नोटेड लिखा है वहॉं कम्पलाईन्स की शर्त ईआईए रिपोर्ट के पेज नम्बर के साथ उल्लेख करें।

5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार जन सुनवाई में उठाये गये संवेदनशील बिन्दुओं/शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर शालाओं में सोलर पेनल/सोलर लाईट की व्यवस्था/प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

5. <u>Case No P2/1505/2025 Shri VIRENDRA SAHU, Owner, Village-Pandupipariya Tehsil-Tamia District Chhindwara (MP) 480559. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. Stone- 8912 cum per annum & M Sand-2228 cum per annum) (Khasra No. 305/2) Village-PANDUPIPARIYA Tehsil- Tamia District Chhindwara (M.P.). [522543] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहित रघुवंशी M/s. AEGIS ENVIRONMENT RESEARCH PVT LTD NOIDA (UP) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VIRENDRA SAHU, Owner, Village- Pandupipariya Tehsil-Tamia District Chhindwara (MP) 480559.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	305/2 (निजी नॉन फॉरेस्ट लेंड) भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है ।	1.00 hectare.
स्थल	Village- PANDUPIPARIYA Tehsil- Tamia District Chhindwara (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 10055-56 दिनांक 13/09/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Control Muffle Blasting.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिदवाडा के Outward No 17514 दिनांक 24/04/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 26/03/26 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone-8912 cum per annum & M Sand-2228 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone- 8912 cum per annum & M Sand-2228 cum per annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाडा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 19/12/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.00 हे. होता	

	है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाडा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 19/12/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाडा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 19/12/24 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाडा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 19/12/24 अनुसार 300 मीटर की दूरी बांध/स्टाप डेम/तालाब एवं लगभग 50 मीटर दूरी पर बरसाती नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पाण्डू पिपरिया जिला छिदवाडा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर लीज प्रदाय हेतु प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area -01 Tree Felling – Not proposed
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- प्राकृतिक नाला 50 मी.
	पश्चिम दिशा-हालेज रोड 210 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिदवाडा के पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 10/12/24 अनुसार उक्त खदान को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने ग्राम सभा पाण्डु पिपरिया, जनपद पंचायत–तामिया दिनांक 14/04/2023 की PESA अनापत्ति प्रस्तुत की। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो

संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone- 8912 cum per annum & M Sand-2228 cum per annum

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.20 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 3.39 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
पाण्डु पिपरिया, प्राथमिक शाला में 03 कि.वाट का सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना	1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

6. <u>Case No 11100/2023 Smt. ANSHU CHOUHAN, R/oVillage Jambura,Tehsil & District -Ujjain (MP)-471901 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 311), VillageGunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [526373] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अंशु चौहान पत्नि श्री रामेष्वर चौहान निवासी– ग्राम जम्बुरा, तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	311 शासकीय भूमि	1.00 हेक्टयेर
स्थल	ग्राम गुनाई खालसा, तहसील व जिला उज्जैन	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 16003–15/खनिज/न.क्र 01/उ.प्र./2021, दिनांक 25.11.2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
टॉर	सेक समिति के मीटिंग 741 दिनांक 25/4/2024	
CTE/CTO	Outward No:21906,09/05/2025, Consent No:CTE-129973, Date: 09/5/25	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15000 घनमीटर/वर्ष है।	
Crusher	Crusher proposed outside the lease area .	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 15 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 45.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12403/खनिज/2023–24 दिनांक 11.11.2023	

	अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, षैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुनई खालसा, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव बैठक दिनांक 14/04/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खनन् परियोजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 117 एवं कॉलम न. 64 पर अंकित है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि :–

- परियोजना क्षैत्र मे मौजूद मे लगे 01 वृक्ष (बबूल) के बदले 10 पौधे और इस प्रकार कुल 1200पोधौ का पोधारोपण किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र समतल भूमि पर है । आस पास के ड्रेनेज व्यवस्था का बनाये रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ बंजबी ड्रेन बनायीं जायेगी जिसकी लम्बाई 392 मीटर एवं गेहेराई 2 मीटर होगी,साथ ही 4 siltation pond बनाये जायेंगे जो कि आगे जाकर कलस्टर में सम्मलित हो जायेगे इसका विवरण EIA के chapter 4 में सम्मिलित कर दिया गया है ।
- प्रस्तावित खदान मे भूजल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नही है क्योकि खदान की उम्र तक जमीनी सतह से 17 मीटर तक ही खुदाई की जावेगी जबकि इस क्षेत्र का पानी की सतह 40.45 मीटर नीचे है जिसका विवरण EIA/EMP मे दिया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक हरित पटटी में 300 पौधे लगाये जायेगें एवं साथ ही खदान को जोड़ने वाली पहुंच सड़क पर 500 मी. मे दोनों तरफ दो लाईन में 500 पौधें लगाये जायेगे एवं साथ ही खदान के पास स्थित ग्राम गनाईखलसा के ग्रामीणो में 100 फलदार पौधे बांटे जायेंगे।
- प्रस्तावित परियोजना के 500 मीटर की परिधि मे कुल 15 अन्य खदानें (प्रस्तावित खदान सहित) स्थित है, अतः क्लस्टर पर्यावरण प्रंबंधन योजना कार्यप्रणाली एवं कार्यान्वयन को तैयार कर ई आई ए में सम्मिलित किया गया है एवं कलस्टर के समुचित पर्यावरण प्रंबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर सभी खदान संचालकों के सहयोग से मिलकर इसे लागू किया जाएगा।

- इस परियोजना की कुल लगत 50 लाख रुपये हैं, प्रति वर्ष उत्पादन 15,000 घन मीटर हैं जिससे की 32.00 लाख रूपए आय होगी एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजी गत लागत 20,79,000 रुपये एवं आवर्ती लागत 3,81,000 रूपए लगाया जायेगा ।

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project: -

1. EIA page 20 reveals “crusher stone” it is not in line with proposed mine project. Page 23 table 2.6 details of yearwise production from 2021-21 to 2025-26 are mentioned, please clarify.
2. EIA P/78 table 3.11 water sampling station must elaborate type of source for underground & surface water, photographs on page 79 are not Geotag. Inference of U/G & Surface water quality must explain as to what extent water is fit wrt standards IS 10500- 2012 & CPCB categorization.
3. EIA P/ 105, photographs of AAQ are not Geotag, location of monitoring equipments seems not in compliance with guidelines . P/133 photographas are not Geotag?
4. EIA P/146 reveals reference of district primary census handbook 2024 for Ujjain & World bank data, please clarify the facts.P/170 memberane Bio-reaction treatment is incorporated however, no budge provision in EMP .

7. Case No P2/1506/2025 SHRI MAHESH PAWARS/O SHRI-SURAJ SINGH PAWAR, H.NO. 1, MAIN RAOD KALAPIPAL, TEHSIL KALAPIPAL,DISTRICT-SHAJAPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Charkhedi Stone & M-Sand Quarry, area 1.700 hectares, Gitti – 7022 cum per year and M-Sand – 3010 cum per year, Khasra No. 584/2/1, 584/1/2/2/2. Village- Charkhedi, Tehsil – Kalapipal, District- Shajapur (MP), [530407] (B2)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आज दिनांक 03/7/25. को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव, M/s AGS Environmental Services (Pvt. Ltd., Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Shri Mahesh Panwar, Owner, House no.1, Ward no. 1, Main road, Bada Mohalla, Kalaoioal Gram, Shajapur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Khasra No. 584/2/1, 584/1/2/2/2 (निजी भूमि)	1.70 hectare.
स्थल	Village- Charkhedi, Tehsil – Kalapipal, District- Shajapur (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 14046 दिनांक 24/12/24 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
CTE/CTO	Outward No:21907, 09/05/2025, Consent No:CTE-129968, Date: 09/5/25	
Type of blasting	BROAD BLASTING & DRILLING PARARMETERS	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 7022 cum per year and M-Sand – 3010 cum per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 7022 cum per year and M-Sand – 3010 cum per year है।	
Crusher and Msand Plant	Proposed outside lease area.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410 दिनांक 04/03/2025 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, जिसका कुल रकबा 2.70 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410 दिनांक 04/03/2025 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव	

	जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410 दिनांक 04/03/2025 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चारखेडा, जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 410 दिनांक 04/03/2025 के अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा की जानकारी को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 03 पेड़ हैं जो जो नहीं काटे जायेंगें एवं इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है पर्यावरण सलाहकार ने यह भी बताया कि लीज के दक्षिण दिशा में एक शेड है वर्तमान में यह शेड फसल रखने हेतु उपयोग में लाया जावेगा एवं इस क्षेत्र में लीज के साईट आफिस एवं श्रमिकों के रेस्ट शेल्टर प्रस्तावित है। । दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मी. की दूरी पर कुछ कच्चे घर हैं एवं दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड 529 मी. की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में एमऐण्ड प्लांट एवं केशर प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti – 7022 cum per year and M-Sand – 3010 cum per year.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.70 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉं	राशि (रू.में)
ग्राम चारखेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोलार पैनल 2 के.वी. **की स्थापना ।**	1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 700 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

8. <u>Case No 10110/2023 Shri Bharat Singh, Proprietor, R/o Ward No. 10, Jivangarh, Alot, District-Ratlam (MP)-457118, Prior Environment Clearance for Jeevangarh Stone Mine in an area of 2.00 ha. (19380 cum per year) (Khasra No. 369), Village- Jeevangarh, Tehsil-Alot, District-Ratlam (MP) [520862] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आज दिनांक 03/7/25. को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री गरिमा श्रीवास्तव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BHARAT SINGH, Proprietor, Ward no. 10 , Jivangarh , Alote, Ratlam, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	369 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 ha.
स्थल	Village-Jeevangarh, Tehsil-Alote, District-Ratlam, (M.P.)	
टॉर	सेक समिति की मीटिंग 665 दिनांक 03/8/2023	
CTE/CTO	Outward No:21902,09/05/2025, Consent No:CTE-129937, Date: 09/5/25	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 731 दिनांक 31/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
Type of blasting	Muffle Blasting	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,380 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,380 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :	

	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माऊखेड़ी जिला जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 14/04/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 17/04/23 के अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि :–

लीज क्षेत्र में कुल 31 पेड़ हैं जोकि जंगल जलेबी, पलाश एवं बबूल प्रजाति के हैं कुल वृक्षों में से 20 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के उत्तर पश्चिम दिशा में रेल्वे लाईन 320 मी. की दूरी पर है एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में 53 मी. पर पॉण्ड है इस संबंध में बताया कि यह निचला स्थान है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है इस संबंध में उनके द्वारा ग्राम पंचायत–माऊखेड़ी का पत्र दिनांक 25/12/2025 प्रस्तुत किया है। दक्षिण पूर्वी दिशा में 494 मी. की दूरी पर देव स्थान है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. **अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता** पत्थर–19,380 घनमीटर/वर्ष
2. **पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.77 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 4.39 लाख प्रति वर्ष ।**
3. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉं	**राशि (रू.में)**
शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आलोट में सोलर पैनल 3 के.वी. की स्थापना	1,20,000/–

4. **वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।**

9. <u>Case No P2/1507/2025 Shri Alok Kumar Pandey, Partner, CREATIVE MINING AND MINERAL WORKS, 102, Vijay Shree Tower, 1st floor, MR 4 Road Ekta Nagar, Jabalpur (M.P.). Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 3.6 ha. (25455 cum per annum) (Khasra No. 4/2/2) VillageHirdyanagar Tehsil- Sihora District- Jabalpur (M.P}.[537024] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे M/s. Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Alok Kumar Pandey, Partner, CREATIVE MINING AND MINERAL WORKS, 102, Vijay Shree Tower, 1st floor, MR 4 Road Ekta Nagar, Jabalpur (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4/2/2 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.6 hectare.
स्थल	Village- Hirdyanagar Tehsil- Sihora District - Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) लीज डीड दिनांक 24/02/25.	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting is not proposed.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के Outward No:122701 दिनांक 08/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite-25455 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite-25455 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 623 दिनांक 10/03/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 623 दिनांक 10/03/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 623 दिनांक 10/03/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 623 दिनांक 10/03/25 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नहर लगी हुई है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हृदयनगर जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 22/08/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	कच्ची सड़क खदान से 80 मीटर पश्चिम दिशा में स्थित है । उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर नहर एवं रोड स्थित है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 743 दिनांक 04/04/25 अनुसार उक्त खदान से संबंधित जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 01 पेड़ हैं जो नहीं काटा जावेगा। पर्यावरण सलाहकार ने यह भी बताया कि खदान से 80 मीटर पश्चिम दिशा में कच्ची सड़क स्थित है एवं उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर नहर एवं पक्का रोड स्थित है अतः नहर/रोड की ओर 50 मी छोड़कर खनन कार्य किया जायेगा एवं इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Laterite-25455 घनमीटर/वर्ष

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.29 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 5.98 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख)
1	ग्राम सहजपुर के शा. प्रायमरी स्कूल में 3 के वी ए का सोलर पैनल की स्थापना	शा. प्रायमरी स्कूल भवन	120000/–
2	ग्राम हृदयनगर शा.प्रायमरी स्कूल में दीवाल पर विज्ञान की पेटिंग एवं चित्रकारी हेतु	शा. प्रायमरी स्कूल भवन	20000/–
	कुल		140,000/–

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2,000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

10. <u>Case No P2/1509/2025 Shri Chandra vijay Singh, Owner, 256, vidhayak nagar, maxi road, Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 2.00 ha. (15,000 cum per year) (Khasra No. 145), VillageGunaikhalsa, Tehsil & District- Ujjain (MP) [474962] (B2).</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Chandra vijay Singh, Owner, 256, vidhayak nagar, maxi road, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Khasra No. 145 (Govt. Land)	2.00 hectare.
स्थल	1. Village- Gunaikhalsa, Tehsil & District- Ujjain (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के सैधांतिक पत्र क्रमांक 3405 दिनांक 15/03/24 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
CTE/CTO	PCB ID: 21904, Consent No:CTE-129974 dated: 09/5/2025	
Type of blasting	Not Applicable	
Install crusher within the mining lease area	No	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum – 15,000 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Murrum – 15,000 m3/Year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 04/10/2024 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, जिसका कुल रकबा 7.50 हे. होता है, (जिसमें परियोजना प्रस्तावक की 01 खदान मुरूम की है जिसका रकबा – 2.0 हे. साथ ही एक खदान मुरूम की और है जिसका रकबा 1. 50 हे. होता हैं एवं एक अन्य खदान पत्थर की है जिसका रकबा 4,00 हे. होता है (कुल रकबा – 7.50 हे.) अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–––– श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 04/10/2024 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 04/10/2024 अनुसार	

	500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता 80 मीटर पर की दूरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिरोला, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–22 दिनांक 09/05/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1286 दिनांक 04/10/2024 के अनुसार खदान का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022–23 में बनी है, तत्पश्चात् उक्त उत्खनिपट्टा स्वीकृति प्रदान की गई है । नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि :–

खदान का पूर्वी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि यह पिट परियोजना प्रस्तावक को लीज स्वीकृति जारी होने के पूर्व का है अतः पूर्वी भाग खुदा होने के संबंध में पी.पी. की जिम्मेदारी नहीं है। वर्तमान में पी.पी. को भू–प्रवेश प्राप्त नहीं है। माईनिंग प्लान में पिट के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण सलाहकार ने यह भी बताया कि उत्तरा पूर्व दिशा में एक कच्चा रोड 368 मी. पर, एवं दक्षिण दिशा में 230 मी. की दूरी पर आबादी है।

समिति ने खदान का पूर्वी भाग खुदा होने के संबंध में गूगल ईमेज पर परीक्षण करने पर पाया कि लीज क्षेत्र की गूगल ईमेज अक्टूबर 2022 के पश्चात् वर्ष 2025 की ही उपलब्ध हैं,

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. **अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता** Murrum – 15,000 **घनमीटर/वर्ष**
2. **पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.96 लाख एवं रिक्रिरिंग राशि रू. 2.26 लाख प्रति वर्ष ।**
3. **सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-**

क्रमांक	**योजना**	**लागत (लाख)**

1	गांव गुनाई खालसा के **शा.** आगनवाड़ी केन्द्र मे सौलर पैनल (2 KW) की स्थापना।	1.0 लाख

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2,400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

11. <u>Case No 10141/2023 Shri Khem Yadav, Owner, R/o House No. 155, Gram-Mangeli, TehsilJabalpur, District-Jabalpur (MP)-482051, Prior Environment Clearance for Dhadra Crusher Stone in an area of 1.40 ha. (Stone-10285, Murum-7770 cum per year) (Khasra No. 112/2), Village- Dhadra, Tehsil-Jabalpur, District Jabalpur (MP) [521970] (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KHEM YADAV, Owner, House no.-155,Gram-mangeli,Tehsil-Jabalpur Dist-Jabalpur(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	112/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.400 Ha.
स्थल	Village – Dhadra, Tehsil – Jabalpur, District Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 11789 दिनांक 05/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	Stone – 10285m3/year and Murum – 7770 m3/year	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।	
टॉर	सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 12/09/23 के द्वारा पत्थर-10,285 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम-7,770 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के Outward No:-24990 दिनांक 05/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/30 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10,285 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–7,770 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और	

	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार एवरेज पत्थर–10,285 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम–7,770 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । वन सीमा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 73 से 210 मीटर दूर होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित वन सीमा से 250 मीटर की परिधि आने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 24/08/21 को खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3336 दिनांक 09/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed -No
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–48 के सरल क्रमांक–93 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र से वन सीमा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 73 से 210 मीटर दूर होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में वन सीमा से 250 मीटर की परिधि आने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 24/08/21 को खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई ।

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:-

1. EIA page 08/01 para 1.4 “scope of study” Raisen is mentioned? Page/16/1TOR three last columns reply requires updation , Page 18/1 and 19/1 TOR points 21,22, 23, 24, 25, 30 reqires correction and reference of EIA chapter , relevant para etc.
2. EIA Page III / 42, III /47, III /52, III /58 photographs are geotags however dates are not visible. Page III/51, GW-1-GW-4 water samples must have details of type of source. Page III /55 MPN result seems to be on higher side. Page III /56 & page XI /140 concluded surface water category as C&B respectively, please clarify.

12. <u>Case No P2/1089/2025 Shri SATYA PRAKASH TIWARI S/o Babu Lal Tiwari, Gram Udgava Teela Mohalla Datia Madhya Pradesh- 475661 , DATIA, MADHYA PRADESH, 484774 Prior Environment Clearance for Sitapur Stone & M-Sand through Crusher Mine, area 1.700 Ha., Production-35000 Cubic Meter Per Annum Khasra Number- 226/1, Village-Sitapur, Tehsil-Orchha, District- Niwari, State Madhya Pradesh over an The project proponent is intended to the maximum [537769] (EIA)</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, ऑनलाईन, एवं श्री प्रदीप लोधी, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री SATYA PRAKASH TIWARI, owner, S/o Babu Lal Tiwari, Gram Udgava Teela Mohalla Datia Madhya Pradesh- 475661.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	226 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.700 hectare.
स्थल	Village- Sitapur, Tehsil- Orchha, District- Niwari (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 30/09/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled Blasting.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	फार्म-1 के पार्ट-बी के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं।	
टॉर	समिति द्वारा दिनांक 18/02/25 के द्वारा स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	Consent No:CTE-129851, PCB ID: 168207, Outward No:22694,05/05/2025	
क्रेशर/एमसेण्ड प्लांटकी स्थिति	क्रेशर/एमसेण्ड प्लांट लीज क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone & M-	

	Sand - 35000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone & M-Sand - 35000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 07/11/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.478 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
Crusher	Outside the lease
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड / से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 07/11/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 07/11/24 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 653 दिनांक 07/11/24 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नाला लगा हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत प्रतापपुरा जिला निवाडी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 30/09/24 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing -05
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा- नदी 859 मी. दक्षिण पश्चिम दिशा- नाला 70 मीटर
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	We undertake to ensure that our mining project is included in the District Survey Report (DSR) at the time of the preparation of a new DSR. समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति

	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

PP submitted following details about the project:

- Sitapur Stone & M-Sand Mine project is situated at Survey No. 226/1, Near Village- Sitapur, Tehsil- Orchha, District- Niwari, State- Madhya Pradesh over an area of 1.700 Ha. Shri Satya Prakash Tiwari, S/o- Shri Babulal Tiwari proposes the Sitapur Stone & M-Sand Mine.
- The proposed production rate is a maximum of 35,000 cum/Year Stone & M-Sand (within 5 Years). The estimated project cost is Rs 55 Lakhs.
- This project is individual lease >5 Ha, Hence, as per OM dated 12-12-2018 it falls under category 'B1' Cluster.
- This is a fresh case for Environment Clearance.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 05 पेड़ हैं जो जो नहीं काटे जायेंगें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार व निम्नानुसार शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone & M-Sand - 35000 घनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.99 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 4.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.1 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायेः-

क्रमांक	योजना	लागत (लाख)
1	शासकीय हाई स्कूल सीतापुर के स्कूल मे सौलर पैनल (2 KW) की स्थापना।	1.10 लाख

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

13. <u>Case No P2/234/2024 HIMMAT SISODIA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.00 Hectare, Maximum Production - 10000 cum per annum, Khasra No.- 49 in Village - Bhasunda, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), [518696] (Query Reply EIA)</u>

Earlier this case was discussed in 789 SEAC Meeting dated 29.04.2025 wherein following query was issued

- The lease area falling under scheduled area PESA hence, submit latest PESA Gram Sabha NOC.

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the Environmental Consultant Shri MD Mahmood Ghouse, on-line from M/s. AmplEnviron Pvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Nahar Khan Pathan (Authorized Person)

During presentation PP submitted

- As per SEAC Instructions submitted the PESA NOC Thehrav prastav No. 347 dated 22/05/2025

<u>The EIA/ EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':</u>

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 10000 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of Rs. 81,000/- as capital and Rs. 1,48,240/- as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of 1,000 Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. CER ACTION PLAN

S. No.	Particular	Amount	Time Frame

1.	Provision of Toys, Educational Aids / Learning Aids to the Children in Anganwadi center in Basunda village(Jalud Panchayat)	30,000.00	First planning year
2.	Maintenance / Upgradation of Village Road within the Village – Bhasunda (Jalud Panchayat)	1,00,000	
Total		1,30,000.00	

14. Case No P2/238/2024 HIMMAT SISODIA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.652 Hectare, Maximum Production - 15000 cum per annum, Khasra No.- 132/1, 133 in Village - GANGATKHEDI, Tehsil - Maheshwar, District - Khargone (MP), [518729] (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 789 SEAC Meeting dated 29.04.2025 wherein following query was issued

- The lease area falling under scheduled area PESA hence, submit latest PESA Gram Sabha NOC.

Hence this case is scheduled for query reply presentation.

The case is presented by the the Environmental Consultant Shri MD Mahmood Ghouse, M/s. AmplEnvironPvt. Ltd., along with PP for M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd., Shri Nahar Khan Pathan (Authorized Person).

During presentation PP submitted

- As per SEAC Instructions submitted the PESA NOC Thehrav prastav dated 05/05/2025

The EIA/ EMP and other submissions made by the PP on Parivesh portal Form-I were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'B':

1. Production as per approved mine plan with quantity not exceeding for Sand 15,000 cum per annum.
2. A budgetary provision for Environmental Management Plan of **1. 93**as capital and **2.70** as recurring has proposed by PP.
3. As proposed, a minimum of **1500** Plants shall be planted During the Study Period in barrier zone, and evacuation road and distributed to villagers through Gram Panchayat as per the submitted plantation scheme.
4. CER ACTION PLAN

S. No.	Particular	Amount	Time Frame
1.	Furniture and necessary items for children of Govt. primary School, GangathKhedi	30,000.00	First Planning Year
2	Upgradation / Maintanence of roads within the village Gangathkhedi	1,50,000.00	
	Total	**1,80,000.00**	

15. <u>Case No P2/1018/2024 Shri Nand Kishore Sharma, Partner, M/s Shri Sai Stone Industry Private Limited, NEAR SAI BABA MANDIR, C-6, BANKERS COLONY, THATIPUR, GIRD, GWALIOR (M.P.) - 474011. Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine, area 1.70 Ha, Production: Stone – 48,000 M^3/Year. at Khasra No.– 3717/2, Village Bilaua, Tehsil- Dabra, District-Gwalior, (M.P.).[519849] (EIA).</u>

Earlier this case was discussed in 786 SEAC Meeting dated 16.04.2025 wherein PP along with Environmental consultant were absent.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप मिश्रा, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचन्द्र पांडा, ऑनलाईन एवं श्री प्रदीप लोधी उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1- परियोजना विवरण:-

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स साई स्टोन आईएनडी, भागीदार – श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री रतीराम शर्मा	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय- **3717/2**	**1.70** हेक्टेयर
स्थल	गावं- बिलौआ,तहसील- डबरा जिला- ग्वालियर, राज्य- मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 3532-33 खनिज /2024 दिनांक 15/03/2024 के द्वारा स्वीकृत है।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	लागू नहीं है|	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकित क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 2024 ,क्षमता – 98000 घनमीटर ,उत्पादित मात्रा- 48000 घनमीटर /प्रति वर्ष	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की	आगामी डीएसआर उक्त खदान को जोड़ लिया जावेगा |	

स्थिति	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है|
प्रकरण की स्थिति	बी-1
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	श्री कृष्णचन्द्र पाांडा मेसर्स ओशियो मैनेजमेंन्ट सॉल्यूशन्स (इां.) प्रा.लि. गाज़ियाबाद उ.प्र.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है|
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	प्रस्तावित परियोजना सिया द्वारा टॉर न. **TO24B0108MP5974721N dated 06/06/2024** स्वीकृत है|
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 48000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 48000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर** के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/2012/888 दिनांक 21/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य 47 खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 79.670 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर** के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/2012/888 दिनांक 21/05/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेषनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर** के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/2012/888 दिनांक 21/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, षैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/षमषान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनषील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेषन, दूरदर्षन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति/नगर परिषद	ग्राम पंचायत/नगर परिषद **बिलौआ,** जिला **ग्वालियर** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-475 दिनांक 29/06/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम **PESA** के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं

क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज के बाहर है।
CTE details	PCB ID: 12789, CTE 67640, Date 09/07/2019.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	कोई पेड़ नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खदान के उत्तर दिशा में 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें परिलाक्षित हो रही है|
	दक्षिण दिशा- खदान के दक्षिण दिशा में 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें परिलाक्षित हो रही है|
	पूर्व दिशा- खदान के पूर्व दिशा में 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें परिलाक्षित हो रही है|
	पश्चिम दिशा-खदान के पश्चिम दिशा में 119 मीटर पर कच्ची सड़क व 500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने परिलक्षित हो रही है|
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	आगामी डीएसआर उक्त खदान को जोड़ लिया जावेगा|
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

During presentation PP's Env. consultant submitted following information about the lease.

- उक्त खदान बर्ष 2013 में **श्री तेजवंत जैन** पुत्र श्री कन्हैया लाल जैन के पक्ष में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू. ऐल -54/2012 ग्वालियर, दिनांक- 30/08/2013 में दस वर्ष लिए जारी की गयी थी तत्पश्चात उक्त खदान को श्री तेजवंत जैन पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा दिनांक 10/07/2014 में **श्री करन बजाज** पुत्र श्री रमेश चन्द्र बजाज के पक्ष हस्तांतरित की गयी थी
- श्री करन बजाज पुत्र श्री रमेश चन्द्र बजाज किसी अन्य व्यापार करने के कारण उत्खनि पट्टा संचालन करने में असमर्थता के चलते उक्त स्वीकृत उत्खनि पट्टा का **अंतरण मेसर्स साईं स्टोन इंडस्ट्रीज भागीदार श्री नन्द किशोर शर्मा** के पक्ष में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला

ग्वालियर से दिनांक- 20 /10 /2022 में हस्तांतरित की गयी थी जिसकी अवधि 09/09/2023 तक थी

- वर्तमान में उत्खनि पट्टा का **नवीनीकरण आदेश पत्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म** मध्यप्रदेश खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल से श्री मेसर्स साईं स्टोन इंडस्ट्रीज भागीदार श्री नन्द किशोर शर्मा के पक्ष में **दिनांक- 15/03 /2024** में कराया गया जिसकी वैधता **दस** वर्ष **(09/09/2033)** तक है
- **अनुमोदित खनन योजना 05/04/2024 को हुई है जिसकी वैधता 2024 से 2029** तक है
- Bilaua Stone Mine For Making Gitti Through Crusher is situated at Khasra No. 3717/2 Near Village Bilaua, Tehsil- Dabra, District Gwalior, State Madhya Pradesh over an area of 1.70 Ha. for 10 Year Lease Period in the favor of project proponent M/S Sai Stone Ind., Partner - Shri Nand Kishor Sharma.
- The proposed rate of production is 48,000 M3/Year (Max) of Stone. The estimated project cost is Rs. 45 Lakhs.
- This project is individual lease >5 Hectare, Hence, as per OM dated 12-12-2018 it falls under category 'B1 Cluster'.
- **This is a fresh case for Environment Clearance**.
- **STATUTORY PERMISSIONS AND NOC**

S.No	Permission/NOC	Reference No.	Department
1	Lease Document	पृ. क्रमांक 3532-33/उत्खनिपट्टा/ग्रुप-3/न.क्र.06/2024 भोपाल, दिनांक 15/03/2024	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
2	Khasra Map		मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
3	Khasra Panchshala	---	मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
4	ToR	TO24B0108MP5974721N dated 06/06/2024	SEAC, M.P.
5	DFO	क्रमांक-क्यू.एल. -54/2012/888, Gwalior Date 21.05.2024	कार्यालय कलेक्टर जिला-ग्वालियर (म.प्र.) (खनिज शाखा)

6	Approved Mining Plan	खनन योजना आवेदन क्रमांक 39713 दिनांक 24/04/2024.	कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म (म.प्र.) क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
7	Public Hearing Proceeding Copy of News Paper Cutting For Public Hearing	Date: 29/08/2024 at 01:00 PM Advertisement date: 27/07/2024 Hindi Newspaper- Savdesh Samachar Hindi Newspaper- Central Chronicle	-
8	500m Distance Certificate (Collector Office)	क्रमांक-क्यू.एल. -54/2012/888, Gwalior Date 21.05.2024	कार्यालय कलेक्टर जिला-ग्वालियर (म.प्र.) (खनिज शाखा)
9	Environmental Policy	-	Proponent
10	Air Modelling Report	-	Environmental Consultant
11	LAB REPORTS (Air, Water, Noise & Soil)	-	M/s Enviro-Tech Services (NABL accredited)
13	Nagar Parishad NOC	क्रमांक/475/न.प./राजस्व बिलौआ दिनांक 29/06/2017	कार्यालय नगर परिषद बिलौआ जिला ग्वा. म.प्र.
14	Tehsildar NOC	क्रमांक-क्यू.एल. -54/2012/888, Gwalior Date 21.05.2024	कार्यालय कलेक्टर जिला-ग्वालियर (म.प्र.) (खनिज शाखा)
15	Partnership Deed	-----	रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश
16	NABET Certificate	NABET/EIA/22-25/SA 0212 Valid till 05.08.2025	OEMS

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि वर्तमान में खनन कार्य बंद है पूर्व में इस खदान को डिया से ईसी जारी की गई थी परन्तु लीज क्षेत्र का नवीनीकरण हो गया है अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन प्रकरण के रूप में पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया है

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:-

1. EIA page 06table 1.4 chapter 8, 9 are not as per generic structure of EIA Notification. Page 07 reply TOR 1.3 , P/ 11 TOR 4.4, P/12 TORn 6.3, P/ 16 TOR 15.1 b, c, g, Page 22 TOR 16.41 & 16.42 requires revision along with reference of EIA relevant Chapter, Para etc.
2. EIA Page 63 Table 3.5 water quality criteria as per CPCB norms , category Below E is mentioned please clarify. Page 65 Ground water and Surface water type of source are to be mentioned along with Geotag photographs as mentioned in TOR. Page 68 MPN is not reported in Surface water samples , please incorporate the same.
3. To upload Geotag photograph for baseline data study (March 24-May 2024) for AAQ, Noise , water, soil as per TOR compliance.
4. EIA page 148 EMP Sr. No. 1(c) provision of discharge of waste water is mentioned it is not in line with TOR, sr. no. 4(a) garland drain & settling tanks dimensions are required to ne mentioned.
5. The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the parivesh portal.

16. <u>Case No P2/31/2024 Shri Sandesh Jain, Attorney Holder, M/S KARAM CHAND ASSOCIATES, Civil Lines, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Expansion of Limestone mine in an area of 26.57 ha. Production Capacity from 0.5 MTPA to 1.5 MTPA (Khasra No. 75/1 Part, 75/2 (PART), 74 (PART), 100 (PART), 103/1 (PART), 103/2 (PART), 103/3 (PART), 134 (PART), 135 PART), Village-Salaiya Paharhai, Tehsil-Vijayraghogarh, District-Katni (MP) [532551] (Query Reply EIA)</u>

Earlier this case was discussed in 790th SEAC Meeting dated 07.05.2025 wherein following query was issued

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड/रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- वायुगुणवत्ता मापन तथा जीएलसी मॉडलिंग में ईआईए के पृष्ठ कमांक 69 पर उल्लेख है कि पीएम–10 तथा पीएम–2.5 स्तर अधिक होने का कारण वाहनों का मूवमेंट तथा व्यवसायीकरण हो सकता है जबकि ईआईए में वायु मापन 07 स्थानों पर करने का लेख है तथा सभी परिणाम मानकों में दर्षाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि वायु मापन का एक बिन्दु जीएलसी मॉडलिंग में परिवर्तित हो गया है ईआईए का पृष्ठ कमांक 65 तालिका 3.12 तथा पृष्ठ कमांक 120, 123, 125, 127 तालिका 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 में AQ5 को अवलोकन कर निष्कर्ष अंकित करें। ईआईए में वायु मापन एनओटू के लिये किया गया है जबकि एनओएक्स के लिये किया जाना चाहिये, ईआईए पृष्ठ कमांक 63–64 तालिका नं. 3.11, पृष्ठ कमांक 67 तालिका नं. 3.13, पृष्ठ कमांक 118 पैरा नं. 4.4.1, पृष्ठ कमांक 145 तालिका नं. 6.1 आदि संदर्भित पृष्ठों का अवलोकन कर संषोधन कर प्रस्तुत करें।
- वायु, जल, ध्वनि, मृदा गुणवत्ता मापन हेतु मॉनिटरिंग आवृत्ति ईआईए पृष्ठ 145 तालिका कमांक 6.1 तथा 190 तालिका कमांक 10.4 में भिन्नता है।
- इस खदान के समीप तीन अन्य खदानें होने से कलस्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रभावी कियान्वयन हेतु बनाया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा षिल्टेषन पोन्ड के विवरण दिये जायें।
- प्रस्तुत ईआईए में चेप्टर 09 को संषोधित कर प्रस्तुत करना है। ईआईए चेप्टर कमांक 11 पृष्ठ 193 पर समाप्त है इसके उपरान्त पुनः अन्य दस्तावेज पृष्ठ कमांक 152 से प्रारम्भ हैं अतः इसको संषोधित किया जाये।

प्रस्तावित लाईम स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 03/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री गरिमा श्रीवास्तव (ईआईए कोर्डीनेटर), मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष क्वेरी का प्रस्तुतीकरण किया गया एवं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समिति द्वारा पूर्व में टॉर

कम्पलाईन्स में जो कमियॉ पाई गई थी उनमें बिन्दुवार सुधार कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for **Expansion of Limestone mine in an area of 26.57 ha. Production Capacity from 0.5 MTPA to 1.5 MTPA (Khasra No. 75/1 Part, 75/2 (PART), 74 (PART), 100 (PART), 103/1 (PART), 103/2 (PART), 103/3 (PART), 134 (PART), 135 PART), Village-Salaiya Paharhai, Tehsil-Vijayraghogarh, District-Katni (MP)** subject to the following special conditions:

(A) PRE-MINING PHASE

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
3. PP will also carry out fencing all around the lease area.
4. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
5. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
6. Haul road shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
7. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
8. Slope stability study shall be carried out before commencing the mining activities.
9. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

(B) MINING OPERATIONAL PHASE

1. No overcharging during blasting to avoid vibration.
2. Controlled and muffle blasting shall be carried out considering habitation northern side of the lease.
3. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
4. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
5. No explosive will be stored at the mine site.
6. No intermediate stacking is permitted at the mine site.

7. No dump shall be stacked outside the lease area.
8. Overhead sprinklers shall be provided in mine.
9. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection in one year only.
10. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.
11. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 10,000 trees shall be planted on barrier zone, backfilled area and along the transportation route.
12. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
13. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
14. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
15. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low-lying areas and in rush of water into the mine.
16. The size of the drain will be 2593M X 1.0M X 1.0M. The settling tank will be 03 in number of size 15mx 2.5m x 1.0m & 01 (10mX2.0mX1.0m).
17. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
18. For dust suppression overhead sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
19. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
20. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
21. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
22. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
23. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

1. In the proposed EMP, PP has proposed Rs. 31.97 Lakh as capital cost and Rs.24.09 Lakh /year as recurring expenses.
2. PP has proposed following physical targets based on public hearing under Corporate Environment Responsibility (CER).

	As per Public hearing		
क्रमांक	योजना /विवरण	कार्यक्षेत्र	लागत
1	आगनबाड़ी के उन्नायन एवं मरम्मत हेतु	ग्राम सैलया पहराई	1,00,000/-
2	स्कूल के उन्नायन एवं मरम्मत हेतु	ग्राम सैलया पहराई	1,00,000/-
3	अन्य कार्य प्रतिवर्ष ०१ स्वस्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जायेगा।	पंचायत एवं ग्रामीण की मांग अनुसार	60,000/-
योग			**2,60,000/-**

3. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
4. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
5. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
6. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity/ built-up area/ project area, addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

17. <u>Case No. – P2/1673/2025 Shri Mukesh Chaturvedi, Executive Engineer, O/o Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal. O/o Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal.(M.P.)- 462003, Prior Environment Clearance for Maa Rewa Lift Irrigation System at village Fategarh, Tehsils Khategaon and Kannod of Dewas District, Madhya Pradesh. Culturable Command Area (CCA) of 43,668 Ha., Village Benefitted: 76 nos. (Khategaon- 24 Villages- 14,071 Ha, Kannod - 52 Villages- 25,629 Ha). Cat.- 1(c) Irrigation Projects, SIA/MP/RIV/540953/2025. FoR- ToR.</u>

This is a Micro Lift Irrigation Project involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Maa Rewa Lift Irrigation System at village Fategarh, Tehsils Khategaon and Kannod of Dewas District, Madhya Pradesh. Culturable Command Area (CCA) of 43,668 Ha., Village Benefitted: 76 nos. (Khategaon- 24 Villages- 14,071 Ha, Kannod - 52 Villages- 25,629 Ha). (MP).

The case was presented by the Shri Santosh Kumar Kulkarni, M/s ERM India Private Limited, Gurugram (Haryana). along with PP Shri Lakhpat Sing Jadon, Executive Engineer.

PP submitted following details of the project on the Parivesh Portal:

SN	Information Required	Details
19.	Project Proposal No.	SIA/MP/RIV/540953/2025.
20.	Project Name	**Shri Mukesh Chaturvedi, Executive Engineer, O/o Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal. O/o Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal.(M.P.)- 462003,** *Prior Environment Clearance for Maa Rewa Lift Irrigation System is proposed as a major Irrigation scheme in Dewas District. The proposed project is located near village Fategarh, in Tehsil-Khategaon and Kannod of Dewas District, M.P.). The Water will be directly lifted from the Narmada River and distributed across a* ***Culturable Command Area (CCA) of 43,668 Ha.,*** *Village Benefitted: 76 nos. (Khategaon- 24 Villages- 14,071 Ha, Kannod - 52 Villages- 25,629 Ha).*

		Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, ToR Case.
21.	Project Proposal For	New. (Proposal No. - SIA/MP/RIV/540953/2025).
22.	ToR Status.	Proposed.
23.	Total Cost of the Project	86246.47 Lakhs.
24.	Description of Project	Maa Rewa Lift Irrigation System is proposed as a major Irrigation scheme in Dewas District. The proposed project is located near village Fategarh, in Tehsils Khategaon and Kannod of Dewas District, Madhya Pradesh. The Water will be directly lifted from the Narmada River and distributed across a Culturable Command Area (CCA) of 43,668 Ha. A telescopic piped canal system network will be developed to irrigate the CCA. Three (3) pump houses each of capacity 38.88 MW will be constructed to cover the entire command area. The project also includes the installation of a transmission line comprising 132 kV over 45 km and 33 kV/11 kV over 5 km to supply power to the pump houses from the designated substation.
25.	CCA details	**43,668 Ha.**
26.	Village Benefitted	76 nos. (Khategaon- 24 Villages- 14,071 Ha, Kannod - 52 Villages- 25,629 Ha)
27.	Type of Irrigation	Lift Irrigation System is proposed.
28.	Declaration submit by P.P.,	Submited by PP (Affidavit dated 13/06/2025) Uploaded on Parivesh Portal.
29.	Whether project involves construction of Dam/Barrage/Weir?	Weir
30.	River details	Narmada River.
31.	Land Requirement (in Ha) of the project or activity	Non-Forest Land [A] - 10.00Ha. Forest Land [B] - 18.81 Ha. Total Land [A+B] - 28.81 Ha.
32.	Forest Clearance details	The CCA of the project lies within Rajor Reserved Forest (RF), Shivjipura RF, Kannod RF, Lili RF, Main

		Vindya RF and Sagonya RF. No project does not propose any tree felling or construction of any above ground structures in these forest areas. The forest land will be used to align the below ground water pipeline for irrigation. The application for Forest Clearance is under progress and will be submitted soon(Information uploaded on Parivesh Portal 2.0).
33.	Forest Clearance Apply	Application submission is under process (Information uploaded on Parivesh Portal 2.0).
34.	Project Cost Rs.	86246.47 Lakhs.
35.	Status of Rehabilitation & Resettlement	NO (Information uploaded on Parivesh Portal 2.0).
36.	CTE/CTO Status	The CTE will be obtained prior to construction works, once EC is granted.
37.	Lat.Long. details.	Lifting Point- Near Fategarh Village. 22’25’42” N 76’47”23” E
38.	DFO NOC	Undertaking Submited by PP (dated 13/06/2025) Uploaded on Parivesh Portal.
39.	PWD distance letter	Undertaking Submited by PP distance – 10 km away. (dated 13/06/2025) Uploaded on Parivesh Portal.
40.	Environment Consultant details	Shri Santoshkumar Kulkarni, M/s ERM India Private Limited, Gurugram (Haryana). Valid up to 21/06/2027.

Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR’s:-

1. Conservation of river course along with its tributaries,
2. Catchment area protection measures at large.
3. To control possible water logging in the area.
4. Explore possibilities to provide water during kharif season.
5. To educate farmers for proper utilization of water and adopt crop patterns to maintain overall ecological balance.
6. To avoid cutting of trees, adopt practicing shifting of trees as far as possible.
7. Since project involves - 18.81 ha. forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
8. District-wise list of benefitted village in the command area under this project.
9. Bifurcation of RF and PF details (if any).

10. Status of land as per land recored register of concerned collector.
11. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
12. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
13. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
14. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.
15. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
16. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
17. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
18. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
19. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
20. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should

be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.

21. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
22. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
23. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
24. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
25. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
26. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
27. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
28. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
29. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
30. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
31. PP shall also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
32. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
33. PP shall carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.
34. PP shall conduct comparative study regarding use of Pesticide/ Insecticides and chemical fertilizers in the project area in present and after envisage activity.

18. <u>Case No 10752/2023 Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885, Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA] (EIA)</u>

पूर्व में यह प्रकरण आज सेक की 797वीं बैठक दिनांक 27/05/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने समिति को अवगत कराया कि अपरिहार्य कारणवश आज दिनांक को नियत प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नही हो पा रहे हैं अतः सेक की आगामी मीटिंग में प्रकरण को एजेण्डे में सूचीबद्ध किया जावे। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक अनुरोध मानते हुये प्रकरण को सेक की आगामी बैठक में एजेण्डे शामिल किया जाये।

अतः यह प्रकरण आज सेक की 807वीं बैठक दिनांक 03/07/25 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने समिति के समक्ष प्रकरण की निम्नलिखित क्रोनोलॉजी प्रस्तुत की ।

<u>Chronology of the case</u>

- Earlier this case was discussed in the 706th SEAC Meeting Dated 28/12/2023 wherein Query was raised.
- Query reply was discussed in the 738th SEAC Meeting Dated 22/04/2024wherein again in some points Query was raised.
- Query reply was discussed in the 753-B SEAC Meeting Dated 18/05/2024wherein after discussion EC was rrecommended.
- MP SEIAA granted EC in the 859th meeting dated 07-06-2024.
- In the SEIAA meeting 871st dated 24-02-2025, the case sent to SEAC for re-examination vide letter no. 2198-99 dated 11-03-25.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई थी :–

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885 Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3,001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA],	
परियोजना का खसरा नं.	खसरा नं.– 62/5ए	एरिया– 2.00 ha., निजी भूमि

/ लीज क्षेत्रफल	62 / 6ए 65ए.	(मेहरा जाति–अनुबंध जमा कराश गया)
परियोजना स्थल	ग्राम– भरद्वारा, तहसील – शाहपुरा, जिला– डिण्डोरी (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 455 दिनांक 08 / 02 / 2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	Consent No:AW-115573 वैद्यता दिनांक 13 / 01 / 2025.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	• Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**डिया–डिण्डोरी के पत्र क्रमांक 825 दिनांक 24 / 07 / 2017 के माध्यम से पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।**	
उत्पादन क्षमता	Gitti – 3,001 cum per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी . के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 735 दिनांक 06 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी . के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22 / 09 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22 / 09 / 2023 अनुसार बरसाती नाला–50 मी., पक्का रास्ता–120 मी की दूरी पर स्थित है।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत /	ग्राम पंचायत– बडखेड़ा जिला – डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 29 / 12 / 2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– . पक्की रोड लगभग 60 मी.	
	पश्चिम दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी.	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–142 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है।	

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान

	स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग लगभग 75 प्रतिशत है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। सामुदायिक भवन बनाया गया है। फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है।
पौधरोपण कार्य	लगभग 500 पौधे क्रशर के पास लगाये है

Query issued 706th SEAC Meeting Dated 28/12/2023

समिति ने बैठक में परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में स्थित पिट को मुरूम से भर दिया गया है, अतः जियोटेग फोटो प्रस्तुत किया जायें।
2. गुगल ईमेज के अनुसार कुछ अन्य खदाने दिख रही है। अतः नवीन एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. पक्की रोड लगभग 60 मी. एवं प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी. पर स्थित है। अतः स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें।
4. ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार फेन्सिग एवं वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि शेष बचा हुआ कार्य कब तक पूर्ण करेगें।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण के संबंध में समिति को श्री अघनु सिंह मेसराम, ग्राम सभा अध्यक्ष, पैसा एक्ट समिति की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में उठायें गये निम्न बिन्दुओं पर पृथक से जानकारी प्रस्तुत की जाये :–
    - खदान क्षेत्र के निकट स्थित सिचाई हेतु बनाई गई पक्की नहर की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
    - ग्राम भरद्वारा पैसा एक्ट के अंतर्गत चिन्हित होना बताया गया है। अतः पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा समिति से प्राप्त अनापत्ति/प्रस्ताव।

- खदान संबंधि कोई भी न्यायालयीन वाद अथवा कोई निर्देश हो तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी।
- खदान के निकट प्राकृतिक नाले की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
- खदान क्षेत्र अथवा आसपास यदि क्रशर या एम सेंड प्लान्ट की स्थापना की गई हो तो उसकी जानकारी प्रस्तुत करें।

Query issued 738th SEAC Meeting Dated 22/04/24

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, प्रकरण को समिति की आज बैठक दिनांक 22/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक Shri Sandeep Rai, Owner एवं पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन FAE ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में पर्यावरणीय सलाहकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनके यहॉ से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। अतः समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

In the SEAC 753-B Meeting Dated 18/05/2024 case was recommonded

सेक की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 में समिति ने निर्देश दिये थे कि खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करें। तदुपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है प्रकरण को आज सेक की 753बी वीं बैठक दिनांक 18/05/2024 में रखा गया । जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री मयंक जादौन FAE ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ. प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण में खदान क्षेत्र का एवं आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किये जिसे समिति ने मान्य किया एवं प्रकरण को अनुशंसित किया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार **निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 3,000 घनमीटर/वर्ष ।

- As per proceedings, despite of complaint received from H'ble MLA Bahoriband letter dated 29/05/2024, MP SEIAA in its minutes of dated 07/06/2024 approved the proposal for grant EC in its 859th meeting dated 07/06/2024 with conditions.
- In the SEIAA meeting 871st dated 24-02-2025, the case forwared again to SEAC for re-examination vide SEIAA letter no. 2198-99 dated 11-03-25 in the off line mode.

सिया द्वारा पत्र क्रमांक 2198/सिया/2025 भोपाल दिनांक 11/03/2025 के द्वारा प्रकरण को सेक की बैठक क्रमांक 753वीं दिनांक 18/05/2024 में की गई अनुशंसा उपरान्त सिया की बैठक क्रमांक 871वीं दिनांक 24/02/2025 में निम्नानुसार निर्णय लेकर प्रकरण सेक को प्रेषित किया गया है

''..... सिया ने अपनी 859वीं बैठक दिनांक 05/06/2024 को प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया था किन्तु प्रकरण में सीईआर एवं प्लान्टेशन के जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उपयुक्त विवरण के आधार पर पुर्नविचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ***प्रकरण सेक को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि सेक सीईआर एवं प्लान्टेशन के बिन्दु सहित प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करके परीक्षण के बाद स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें।*** *सेक से यह भी अनुरोध है कि पौधरोपण के संबंध में अभिमत देने के पूर्व भारत सरकार पर्यावरण, वन एपं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओएम दिनांक 24/07/2024 एवं सीईआर के संबंध में ओएम दिनांक 01/05/2018, 30/09/2020 एवं 25/02/2021 को भी दृष्टिगत रखे।''*

18. प्रकरण क्र. 10752/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप राय आत्मज श्री सुरेन्द्र राय, निवासी– बिछिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 62/5, 62/6, 65 ग्राम भरद्वारा, तहसील शहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्राधिकरण की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 के लिये एजेण्डा दिनांक 23.02.2025 को अपलोड किया गया था। इस एजेण्डे के सरल कमांक 18 पर प्रकरण कमांक 10752/2023 को भी विचारण में लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव नोटशीट पृष्ठ कमांक 22 "C" पर सदस्य सचिव SEIAA के प्रस्ताव " 7.3 में लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति की जा चुकी है परंतु लिपिकीय त्रुटि के कारण कार्य बाधित है ऐसे समस्त प्रकरणों का निपटारा किया जाना उचित है" उक्त टीप के आधार पर प्रकरण कमांक 10752/2023 विचारण में लिया गया।

SEIAA द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। SEIAA द्वारा नस्ती कमांक 10752 के पृष्ठ कमांक 7 एवं 8 का भी अवलोकन किया। उक्त पृष्ठ पर प्रोजेक्ट फैलो द्वारा टीप दी गई कि *"प्रकरण कमांक 10752/2023 को SEIAA समिति 859वी दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत किया गया एवं इसमें CER व Plantation एवं EMP की जानकारी न होने के बाद भी इसमें EC दी गई है, अतः इस प्रकरण के निवारण के लिये एवं शेष जानकारी प्राप्त करने के लिये दूरभाष पर SEAC से सम्पर्क किया गया परंतु जानकारी प्राप्त न होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती है। अतः EC न होने के कारण सदस्य सचिव को सूचित किया जा रहा है। नोटशीट पृष्ठ कमांक 7 में माननीय अध्यक्ष महोदय से निर्देश प्राप्त अनुसार प्रकरण को SEIAA की बैठक 859वी दिनांक 05.06.2024 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किया जाना निर्णित किया गया है किन्तु SEAC द्वारा प्रकरण को 753वी बैठक दिनांक 18.05.2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाने की अनुशंसा की गई है परंतु कार्यवाही विवरण में EMP, CER एवं Plantation की जानकारी अंकित नहीं की गई है, अतः उल्लेखनीय है कि प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।"* उक्त टीप के आधार पर सदस्य सचिव SEIAA ने लिपिकीय त्रुटि ठीक करने के लिये प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिसे SEIAA ने अपनी आज की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 को विचारण में लिया। **प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि इस प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। कार्यालय द्वारा भ्रमित करने वाली टीप प्रस्तुत की गई है कि इसमें लिपिकीय त्रुटि है।** भविष्य में प्रकरण का पूर्ण अवलोकन एवं परीक्षण करने के बाद ही टीप अंकित

की जावे। SEIAA ने यह भी पाया कि नस्ती कमांक 10752 के पृष्ठ कमांक 7 पर EMP की जानकारी नहीं होने का उल्लेख है। जबकि ऑनलाईन अवलोकन करने पर EMP प्रकरण में पाया गया किन्तु वह अपूर्ण है। SEIAA ने अपनी 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 को प्रश्नाधीन प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया था किन्तु प्रकरण में CER एवं Plantation की जानकारी उपलब्ध नहीं होने तथा उपयुक्त विवरण के आधार पर पुर्नविचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **प्रकरण SEAC को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि SEAC CER एवं Plantation के बिन्दु सहित प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करके परीक्षण के बाद स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें।** SEAC से यह भी अनुरोध है कि पौधरोपण के संबंध में अभिमत देने के पूर्व भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के OM दिनांक 24.07.2024 एवं CER के संबंध में OM दिनांक 01.05.2018, 30.09.2020 एवं 25.02.2021 को भी दृष्टिगत रखे।

SEIAA ने यह भी निर्णय लिया कि SEIAA कार्यालय द्वारा SEIAA की बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी प्रस्तुत की जावे। प्रोजेक्ट फैलो एवं प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर नियम व प्रावधान के तहत स्वस्पष्ट टीप दी जावे। सदस्य सचिव द्वारा भी कार्यालयीन टीप का परीक्षण कर लिया जावे, उसके बाद ही प्रकरण की संक्षेपिका SEIAA की बैठक में प्रस्तुत की जावे। प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 के बाद SEIAA के निर्णय की समीक्षा कार्यालय द्वारा की गई जबकि जो तथ्य कार्यालय द्वारा बैठक के निर्णय के बाद संज्ञान में लाये गये वह सभी तथ्य बैठक के दौरान ही संज्ञान में लाना था। उक्त तथ्य SEIAA की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में संज्ञान में नहीं लाने के लिये संबंधित प्रोजेक्ट फैलो एवं प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 871वी बैठक दिनांक 24.02.2025 का कार्यवाही विवरण

Dissenting decision of Member Secretary

I have shown my disagreement with the decision taken on case no 10752/2023 S.No. 18. The basis of my disagreement.

"उक्त प्रकरण में माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पाण्डे बहोरीबंद द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध उनके एकल प्रमाण पत्र में 500 मीटर की परिधि में क्लस्टर की खदानों की असत्य जानकारी दिये जाने एवं अवैध उत्खनन किये जाने की शिकायत पत्र दिनांक 29.05.2024 के माध्यम से की गई एवं परियोजना प्रस्तावक तथा माननीय विधायक उक्त प्रकरण में दिनांक 05.06.2024 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण को क्लस्टर में होने एवं अवैध उत्खनन की वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराया गया, जिसके उपरांत प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2024 में निर्देश दिये गये कि उक्त प्रकरण में कलेक्टर डिण्डौरी से क्लस्टर में सम्मलित खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होने की वास्तविक स्थिति की जानकारी पत्र के माध्यम से प्राप्त की जायें, जिसका उल्लेख प्रकरण की नस्ती पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुमोदन सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया।

चूँकि प्रकरण को बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी में निर्णित किया जाये इस मुद्दे पर ही चर्चा होती रही। इसके उपरांत प्रकरण में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में SEAC की अनुशंसा अनुसार बी–2 श्रेणी में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान चूँकि प्रकरण में SEAC द्वारा उनके कार्यवाही विवरण में CER एवं Plantation की जानकारी का समावेश नहीं किया गया था के संबंध में भी अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण प्राधिकरण के कार्यकाल समाप्ति दिनांक 10.06.2024 के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा अंतिम स्वरूप में हस्ताक्षर किये जाने के पर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया।

चूँकि प्रकरण में उपरोक्तानुसार तथ्यों के दृष्टिगत प्रभारी अधिकारी एवं संबंधित स्टाफ द्वारा उक्त बैठक दिनांक 05.06.2024 में सदस्य सचिव के माध्यम से प्राधिकरण को पूर्णतः तथ्यों से अवगत कराया गया। अतः प्रभारी अधिकारी एवं अन्य किसी स्टाफ के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाना है।

(आर. उमामहेवरी)
सदस्य सचिव

इस तरह प्रकरण क्र. 10752/2023 में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1-12-2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाये।

उपरोक्त संबंध में प्रकरण को समिति की बैठक दिनांक 03/07/2025 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, परियोजना प्रस्तावक के Shri Sandeep Rai, Owner एवं पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः अवगत कराया गया किः–

- पक्का रोड 60 मी. एवं प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी. पर स्थित है अतः स्थानवार मापदण्ड अनुसार 200 मी. का सेटबैक छोड़कर खनन कार्य किया जावेगा एवं फेंसिंग, पौधारोपण आदि का कार्य तीन माह के भीतर कराया जावेगा।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.86 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.94 लाख प्रति वर्ष प्रस्तावित किया गया है।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप (प्रिंटर के साथ) की व्यवस्था	50,000

उक्त संबंध में समिति द्वारा सिया द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं illegal mining, cluster area within 500 meter एवं श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, विधायक, बहोरबंद क्षेत्र, कटनी की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विस्तृत अध्ययन/परीक्षण करने के उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्नलिखित जानकारी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा :–

- उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संचालित/स्वीकृत अन्य खदानों का अद्यतन विवरण।
- Provide valid Mining Lease/Mining Plan, CTO & EC for past operational period to ensure legal operation.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. **कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

40. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरुप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    ✓ roposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

    ✓ ctivities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

    ✓ o fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

    ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

    ✓ omprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

    ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देष :–

नोट 1 :– स्थल विषेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :– विषय विषेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवष्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवष्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवष्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विषेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवष्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पष्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पष्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिषा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- ख

  ादान संचालन षुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विषेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे